हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हशविप्रा)
सी–3, सेक्टर–6, पंचकूला

धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं हेतु भूखंडो का आबंटन

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हशविप्रा), कुरुक्षेत्र के सैक्टर 8, सिरसा के सैक्टर 19 पार्ट–1, भिवानी के सैक्टर 23 पार्ट–2 तथा पटौदी के सैक्टर 1 शहरी सम्पदा क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित धर्मार्थ एवं सामाजिक कार्यो हेतु निर्धारित नियमों के अनुसार भूखंडो के आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है1 इन आबंटन से संबंधित विस्तृत नियम एव शर्ते तथा आवेदन पत्र का प्रारूप हशविप्रा की वेबसाइट https://hsvphry.org.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं1 अधिक जानकारी के लिए सम्पदा अधिकारी, हशविप्रा, कुरुक्षेत्र, सिरसा, भिवानी व सम्पदा अधिकारी–1, हशविप्रा, गुरुग्राम से सम्पर्क करें1 आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 17.11.2023 सायं 05.00 बजे होगी1

मुख्य प्रशासक,
हशविप्रा, पंचकूला1

Scanned with CamScanner

छायाचित्र

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं हेतु भूखंडों के आबंटन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. संगठन का नाम व पंजीकरण संख्या.................................
2. पता ....
3. शहरी सम्पदा का नाम जिसमें भूखण्ड चाहियेः ....
4. संस्था वर्तमान में है अथवा प्रस्तावित हैः ....
5. संगठन का प्रत्यय पत्र
   - क) संगठन का नामः सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/निजी........................
   - ख) अगर निजी है, एक पंजीकृत समिति/समिति जो धर्मार्थ समिति अधिनियम के अधीन पंजीकृत है ....
   - ग) **संस्था अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग ए/पिछड़ा वर्ग बी श्रेणी से सम्बन्धित है अथवा संस्था जनरल श्रेणी से सम्बन्धित है** ....
6. क) परियोजना हेतु उद्देश्य का संक्षिप्त विवरणः ....
   - ख) उद्देश्य जिसके लिये भूखण्ड चाहिएः ....
7. किये गये पूर्व कार्यो का विवरणः ....
8. परियोजना की कुल लागतः ....
9. क्या संगठन के पास परियोजना संभालने की प्रबंधकीय क्षमता है.............
10. परियोजना के कार्यान्वयन हेतु संसाधनों को बढाने के लिये क्या उपाय किए जाएंगेः ....
11. क) मांगे गये भूखण्ड का आकार (आवश्यक कारपेट एरिया के विवरण के साथ)
    - ख) भूखण्ड की आवश्यकता के संबंध में औचित्य एवं निर्मित क्षेत्र को दर्शाता भूखण्ड का प्रयोज्य प्लान।
12. संस्था की वित्तीय स्थिति
    - क) वर्तमान सभी बैंकों का बैंलेसः ....
    - ख) वार्षिक प्राप्तियां (पिछले 3 वित्तीय वर्षो की):...................................
    - ग) भूखण्ड एवं भवन हेतू चिन्हित निधिः ....
13. जिला उपायुक्त की अनुशंसाः ....
14. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजः
    - क) परियोजना रिपोर्ट
    - ख) भूखण्ड प्रयोज्य नक्शा
    - ग) न्यास/संस्था/संस्थान के पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
    - घ) बैंक मैनेजर द्वारा सत्यापित वर्तमान बैंक बैलेंस का प्रमाण पत्र।

दिनांकः

स्थानः

प्रार्थी का नाम एवं हस्ताक्षर

नामः ....

मो0 न0: ....

ई–मेलः ....

Scanned with CamScanner

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं हेतु भूखंडों के आबंटन हेतु नियम एवं शर्ते

1. आवंटन 99 वर्षो के लिए पट्टे के आधार पर किया जाएगा।
2. इच्छुक और पात्र समाज/न्यास/संस्थाएँ इसके आवंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
3. भूखण्ड की कुल अस्थाई लागत का 10 प्रतिशत एक निर्धारित अग्रिम धनराशि के रूप में वेबसाइट https:/hsvphry.org.in पर आनॅलाइन माध्यम से जमा करना होगा।
4. आबंटन ह.श.वि.प्रा. की नवीनतम नीतियों के अनुसार किया जाएगा।
5. प्राप्त आवेदनों की मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जांच कर गुणावगुण के आधार पर संस्तुति की जाएगी। तदानुसार आबंटन प्राधिकरण के यादि कमांक-09/547-622 दिनांक 04.01.2020 द्वारा जारी किए गए नीति निर्देश के अनुसार किया जाएगा।
6. पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों व चालान की एक प्रति केवल हशविप्रा के सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी, कुरुक्षेत्र, सिरसा, भिवानी व सम्पदा अधिकारी-1, गुरुग्राम में **दिनांक 17.11.2023 सायं 5.00** बजे से पूर्व जमा करवाना होगा।
7. आबंटित भूखंड के संबंध में भविष्य में सक्षम न्यायालय द्वारा अवधारित बढ़े हुये मुआवजे, यदि कोई है, की समानुपातिक देयता आबंटी के द्वारा देय होगी।
8. इन भूखंडों के आबंटन के समय हशविप्रा की संस्थागत भूखंडों (धार्मिक/सामाजिक न्यास/धर्मार्थ संस्थान/परोपकारी संस्थान/न्यास हेतु) हेतु जो दरें लागू होंगी, वह दरें आबंटी से वसूल की जाएंगी।
9. ऐसे आबंटन हेतु निम्नानुसार दरें वसूल की जाएंगीः-

अनुसूचित जाति के लिए	निर्धारित संस्थागत दरों का 20 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए	निर्धारित संस्थागत दरों का 30 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग (बी) के लिए	निर्धारित संस्थागत दरों का 40 प्रतिशत
साधारण श्रेणी के लिए	निर्धारित संस्थागत दरों का 50 प्रतिशत

नोटः यदि अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग (ए), पिछड़ा वर्ग (बी) द्वारा भूखण्डों की दरों में उक्तानुसार छूट का लाभ प्राप्त करना है तो, आवेदक संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ जाति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि सभी जातियों के मिश्रित समूह द्वारा भूखण्ड के आबंटन हेतु आवेदन किया जाएगा तो ऐसा आवेदन साधारण श्रेणी के लिए माना जाएगा

Scanned with CamScanner

संस्थागत भूखण्डों (धार्मिक/सामाजिक न्यास/धर्मार्थ संस्थान/परोपकारी संस्थान/न्यास) के आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं:–

कमांक	शहरी सम्पदा का नाम	सेक्टर/ भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	भूखण्ड की दर (वर्ग मी. में)
1.	कुरूक्षेत्र	8 साईट न. 1ए	1121.17	रू. 15,500/–
2.	कुरूक्षेत्र	8 साईट न. 1बी	1121.17	रू. 15,500/–
3.	सिरसा	19 पी–1	878.35	रू. 14,000/–
4.	भिवानी	23 पार्ट–2	1052	रू. 14,000/–
5.	पटौदी	1 साईट न. 1	868.90	रू. 35,000/–

Rates for the above sites will be applicable as under:

For SC Category	20% of the above rates
For BC(A) Category	30% of the above rates
For BC (B) Category	40% of the above rates
For General Category	50% of the above rates

Note:

i) **10% of the total cost of the land shall be deposited alongwith application form as an earnest money.**

ii) **If applicants falls under SC, BC(A) & BC (B) Category of Haryana than applicants have to provide caste certificate alongwith application to obtain above benefit in land cost.**

iii) **In case of the mixed group from all caste, it shall be treated as General Category.**

Scanned with CamScanner